

## 10 April The Hindu Closure on cynicism

### • वीवीपैट पर्चियों के मिलान पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश-

संदर्भ-

- सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया कि लोकसभा चुनाव में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की जगह पांच मतदान केंद्रों से वीवीपैट पर्चियों की जांच की जाएगी। इस निर्देश से चुनाव-प्रक्रिया में अधिक विश्वसनीयता आएगी।
- मुद्दा क्या था?** - विपक्षी दलों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसमें, चुनाव में वीवीपैट की कम से कम 50 फीसद पर्चियों की गणना का आयोग को निर्देश देने के लिए याचिका दायर की गई थी।
- कुछ विपक्षी दलों ने बैलेट पेपर की वापसी पर भी याचिका दायर की थी। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय ने चुनाव में मतगणना को और अधिक विश्वसनीय बना दिया है।

### महत्वपूर्ण बिंदु

- इस निर्देश के पहले तक आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत 4,125 ईवीएम की वीवीपैट पर्चियों का प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक ईवीएम से मिलान किया जाता है।
- भारतीय निर्वाचन आयोग के लिए EVM और VVPAT के साथ वास्तविक समस्या तकनीकी छेड़छाड़ की न होकर 'ग्लिच मशीन' या मशीन की खराबी हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार में उप-चुनाव और कर्नाटक विधानसभा चुनाव में लगभग 50% मशीनों में खराबी आ गई थी। इसके बाद निर्वाचन आयोग ने VVPAT में तकनीकी सुधार किए।
- लोकसभा के चुनाव के दौरान निर्वाचन आयोग के सामने VVPAT में तकनीकी खराबी के कारण मशीनों के प्रतिस्थापन की चुनौती रहेगी।
- आवश्यक है कि चुनाव में मतदाता नांमाकन वृद्धि, अभियान में फंड प्रबंधन का प्रभावी विनियमन व आदर्श आचार संहिता के क्रियान्वयन पर भी ध्यान दिया जाए।
- सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद निर्वाचन आयोग को चार राज्य विधानसभाओं के चुनाव व लोकसभा के चुनाव कराने में आसानी होगी।
- निर्वाचन आयोग इस समय लोकसभा के प्रत्येक संसदीय क्षेत्र या विधान सभा क्षेत्र में एक मतदान केंद्र पर अचानक ही वीवीपैट पर्चियों की गणना की व्यवस्था का पालन करता है।
- निर्वाचन आयोग द्वारा वीवीपैट की पर्चियों के मिलान के लिए ईवीएम के आकस्मिक चयन के लिए अपनाई जा रही मौजूदा प्रक्रिया जारी रहेगी।
- सत्यापन जांच के नमूनों के आकार का विस्तार करने से वीवीपैट पर्चियों की हाथ से अधिक गणना करनी होगी जिसमें गलती की संभावना भी ज्यादा होगी।
- ईवीएम से जुड़े वीवीपैट की पर्चियों की सत्यापन जांच के लिए तैनात होता है और सर्वे का आकार बढ़ाने पर अधिक लोगों की आवश्यकता होगी।
- **वीवीपीएट** - वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, व्यवस्था के तहत वोटर द्वारा मतदान डालने के तुरंत बाद कागज की एक पर्ची बनती है, इस पर जिस उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न छपा होता है। किसी तरह का विवाद होने पर ईवीएम में पड़े वोट के साथ पर्ची का मिलान किया जा सके।
- भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने यह मशीन 2013 में डिजाइन की।
- **ईवीएम**, 'टू पीस सिस्टम' के अधीन काम करता है। इसका एक हिस्सा बैलेट यूनिट होता है, इसकी दूसरी ईकाई इलेक्ट्रॉनिक बैलेट बॉक्स से जुड़ी होती है।
- वोटिंग बूथ में निर्वाचन आयोग द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मौजूद होते हैं। वोट डालते समय वोटर को बैलेट पेपर की जगह ईवीएम की बैलेट यूनिट में विभिन्न पार्टियों के चुनाव चिह्न के सामने दिए गए नीले रंग के बंटन को दबा कर वोट देना होता है।
- 1980 में एम.बी. हनीफा ने पहली बार भारत के चुनाव के लिए वोटिंग मशीन का आविष्कार किया। यह 'इलेक्ट्रॉनिक रूप से संचालित वोटों की गिनती करने की मशीन' थी।

**प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न**

1. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-

1. के. संथानम समिति द्वारा लोकसभा और विधानसभा चुनाव का व्यय सरकार द्वारा वहन किया जाये।
2. इंद्रजीत गुप्त समिति द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की सिफारिश की।
3. दिनेश गोस्वामी समिति द्वारा उम्मीदवारों के चुनाव व्यय का लेखा जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया।
4. विधि आयोग ने राइट टू रिकॉल तथा नोटा की सिफारिश की।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से असत्य है/हैं?

- (a) 1, 2 और 4
- (b) 4, 2 और 3
- (c) केवल 4
- (d) 1, 2, और 3

उत्तर (d)

**मुख्य परीक्षा प्रश्न**

**प्रश्न-** भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है यहां 100 करोड़ से अधिक मतदाताओं के लिए निष्पक्ष व पारदर्शी चुनाव के लिए ईवीएम मशीनों ने विश्वसनीयता को अधिक मजबूत किया है। विभिन्न राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह उठाने से समय और धांधली के मुद्दे पुनः नये रूप में जीवंत हो रहे हैं। विश्लेषण कीजिए।